राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 32/2020

निर्णय दिनांक :– 25.01.2021

वादी :–

हिरालाल पुत्र मुलाराम चौधरी आयु–53 वर्ष जाति–सिरवी चौधरी निवासी–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हकाराम उर्फ हकाराम एम चौधरी पुत्र स्व. मुलाराम आयु–73 वर्ष
2. शेषाराम पुत्र मुलाराम चौधरी आयु–53 वर्ष
   जातिगण–सिरवी चौधरी निवासीगण–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री पुखराज चौधरी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की ओर से।

निर्णय (अन्तिम डिक्री) **दिनांक:– 25.01.2021**

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 89, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम नाडोल चक–2 तहसील–देसूरी की जमाबन्दी खाता संख्या 1135 सवत् 2073 –2076 के खसरा नम्बर 3800 क्षेत्रफल 1.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर 3801/5953 क्षेत्रफल 0.3300 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 3809 क्षेत्रफल 01.4700 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 5019 क्षेत्रफल 0.4200 हैक्टर कुल संख्या 4 कुल 03.2200 हैक्टर कुल देय लगान 101.47 रूपये की आराजी में वादी और प्रतिवादी को बहिस्सा बराबर बराबर अर्थात 1/3–1/3 की खातेदारी हक अधिकार विद्यमान है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

यह है कि वाद पद संख्या एक में वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या एक को सयुक्त 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या दो को 1/3 हिस्सा के खातेदारी हक अधिकार निहित है। वादग्रस्त आराजी का वादी और प्रतिवादी के मध्य में आपसी सहमति से मौके पर विभाजन किया जाकर अलग–अलग कब्जा प्राप्त कर माफिक विभाजन सहमति से बंटवाडा निम्नानुसार किया गया–

क्र. स.	पक्षकार	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	किस्म
1	वादी हिरालाल	3801/5953 3800	0.3100 0.6100	चा.प्र.जा.अ. चा.प्र
2	प्रतिवादी हकाराम	3809 3800/2	0.7300 0.1300	चा.प्र.जा.अ. चा.प्र
3	प्रतिवादी शेषाराम	3809/1 3800/3	0.7400 0.1100	चा.प्र.जा.अ. चा.प्र
4	वादी हीरालाल प्रतिवादी हकाराम, शेषाराम	3800/1 3801/5953/1 5019	0.0200 0.0200 0.4200	चा.प्र. जा.अ. बा.दो
5	प्रतिवादी हकाराम, शेषाराम	3800/4	0.1300	चा.प्र जा.अ.

उपरोक्त अनुसार किये गये बंटवाडा और नक्शा की प्रतिलिपी पेश है। दिनांक 06.07. 2020 को वादग्रस्त आराजी का किया गया विभाजन को स्वीकृत कराने और भू–अधिकार अभिलेखों में इन्द्राज कराने हेतु प्रतिवादी को बार बार निवेदन करने पर भी एक साथ तहसीलदार देसूरी के समक्ष उपस्थित नही हो रहे है जिससे वादी विभाजन का वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त विकल्प नही होने से वादग्रस्त आराजी के बंटवाडा बाबत यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है।

प्रकरण हाजा में दिनांक 04.09.2020 को न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशा की जारी की गई कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम नाडोल चक–2 तहसील–देसूरी की जमाबन्दी खाता संख्या 1135 सवत् 2073 –2076 के खसरा नम्बर 3800 क्षेत्रफल 1.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर 3801/5953 क्षेत्रफल 0.3300 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 3809 क्षेत्रफल 01.4700 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 5019 क्षेत्रफल 0.4200 हैक्टर कुल संख्या 4 कुल 03.2200 हैक्टर कुल देय लगान 101.47 रूपये की [illegible] प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 06.07.2020 को हुए सहमति के अनुसार बंटवाडा [illegible] प्राथमिक डिक्री जारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:19 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

जाती है। तहसीलदार देसूरी को सहमति बंटवाडा दिनांक 06.07.2020 मय नक्शा की प्रति भेजकर आदेशित किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी का वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य सहमति से हुए बंटवाडा के अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव मय नक्शा के इस न्यायालय में दो प्रतियो में भिजवावे।

तहसीलदारजी, देसूरी पत्राक/राजस्व/20/56 दिनांक 18.01.2020 के द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट मय नक्शा के प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध मे पक्षकारान की तरफ से कोई आपत्ति एतराज प्रस्तुत नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट का अवलोकन किया। माफीक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम डिक्री योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम नाडोल चक–2 तहसील–देसूरी की जमाबन्दी खाता संख्या 1135 सवत् 2073 –2076 के खसरा नम्बर 3800 क्षेत्रफल 1.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर 3801/5953 क्षेत्रफल 0.3300 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 3809 क्षेत्रफल 01.4700 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 5019 क्षेत्रफल 0.4200 हैक्टर कुल संख्या 4 कुल 03.2200 हैक्टर कुल देय लगान 101.47 रूपये का माफीक तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती है:–

क्र. स.	पक्षकार	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर)	लगान (रूपये)	किस्म
1	वादी हिरालाल पुत्र मूलाराम सिरवी चौधरी सा.देह खातेदार	3801/5953 3800	0.3100 0.6100	36.25	चा.प्र.जा.अ. चा.प्र
2	प्रतिवादी हकाराम पुत्रमूलाराम सिरवी चौधरी सा.देह खातेदार	3809 3800/2	0.7300 0.1300	29.54	चा.प्र.जा.अ. चा.प्र
3	प्रतिवादी शेषाराम पुत्र मूलाराम सिरवी चौधरी सा.देह खातेदार	3809/1 3800/3	0.7400 0.1100	28.87	चा.प्र.जा.अ. चा.प्र
4	प्रतिवादी शेषाराम 1/3 प्रतिवादी हकाराम 1/3 वादी हिरालाल 1/3 सा.देह खातेदार	3800/1 3801/5953/1 5019	0.0200 0.0200 0.4200	02.62	चा.प्र. जा.अ. बा.दो
5	प्रतिवादी हकाराम 1/2 प्रतिवादी शेषाराम 1/2	3800/4	0.1[illegible]	04.12	चा.प्र जा.अ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:19 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम किया जावें। । तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावें। कुल लगान राशि 36.25 रूपयें का पांच गुना पर देय मुद्रांक के बतौर रूपयें 181.25/– के नोन ज्यूडिश्यल स्टाम्प वादी पेश करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय एवं अंतिम डिक्री पर्चा की एक प्रति तहसीलदार देसूरी को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर संख्या से कम हों।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (बाली)

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (बाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:19 IST
Reason: SelfAttested

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

वादीगण	**ब ना म** **प्रतिवादीगण**
हिरालाल पुत्र मुलाराम चौधरी आयु–53 वर्ष जाति–सिरवी चौधरी निवासी–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली	1. हकाराम उर्फ हकाराम एम चौधरी पुत्र स्व. मुलाराम आयु–73 वर्ष 2. शेषाराम पुत्र मुलाराम चौधरी आयु–53 वर्ष जातिगण–सिरवी चौधरी निवासीगण–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी 1.

दावा बाबत 53, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :– 32 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री दिनेश कुमार माली मुदई पुखराज चौधरी मिनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम नाडोल चक–2 तहसील–देसूरी की जमाबन्दी खाता संख्या 1135 सवत् 2073 –2076 के खसरा नम्बर 3800 क्षेत्रफल 1.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर 3801 / 5953 क्षेत्रफल 0.3300 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 3809 क्षेत्रफल 01.4700 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 5019 क्षेत्रफल 0.4200 हैक्टर कुल संख्या 4 कुल 03.2200 हैक्टर कुल देय लगान 101.47 रूपये का माफीक तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अन्तिम डिकी निम्न प्रकार सादिर की जाती है:–

क्र. स.	पक्षकार	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर)	लगान (रूपये)	किस्म
1	वादी हिरालाल पुत्र मूलाराम सिरवी चौधरी सा.देह खातेदार	3801 / 5953 3800	0.3100 0.6100	36.25	चा.प्र.जा.अ. चा.प्र
2	प्रतिवादी हकाराम पुत्रमूलाराम सिरवी चौधरी सा.देह खातेदार	3809 3800 / 2	0.7300 [illegible]	29.54	चा.प्र.जा.अ. चा.प्र
3	प्रतिवादी शेषाराम पुत्र मूलाराम सिरवी चौधरी सा.देह खातेदार	3809 / 1 3800 / 3	[illegible]	28.87	चा.प्र.जा.अ. चा.प्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

4	प्रतिवादी शेषाराम 1/3 प्रतिवादी हकाराम 1/3 वादी हिरालाल 1/3 सा.देह खातेदार	3800/1 3801/5953/1 5019	0.0200 0.0200 0.4200	02.62	चा.प्र. जा.अ. बा.दो
5	प्रतिवादी हकाराम 1/2 प्रतिवादी शेषाराम 1/2	3800/4	0.1300	04.12	चा.प्र जा.अ.

उपरोक्तानुसार तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को डिक्री का भाग माना जावें। तद्नुसार तहसीलदार देसूरी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम करावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **25** माह **जनवरी** सन् **2021** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक मिजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:19 IST
Reason: SelfAttested